

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर  
प्रार्थी : श्री रमेश चन्द्र  
किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : हजारीलाल

पत्रावली संख्या : 191/07

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 21.10.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बताया कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 5390 दिनांक 26.09.2018 को स्वीकृत हो चुका हैं। अतः पक्षकारान के मध्य बंटवाडा हो जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

